

9/10/20

वकील वादी उपस्थित। 500 सादर
बाहर पधार हैं। पत्रावली पूर्वा. दि.
25/11/20 को पेश हो।

25-11-20

पत्रावली के माध्यम से न्यायाधीश को सूचित किया गया है कि वादी की पेशगीवारी के लिए आवश्यक दस्तावेजों का अभाव है। अतः न्यायाधीश ने अग्रिम में अतिरिक्त दस्तावेजों की मांग की है।

3/12/20

वकील वादी उपस्थित। साक्ष्यवादी उपस्थित
नहीं। अंतिम मौजा दिया जाता है।
पत्रावली वाले साक्ष्यवादी दिनांक 17/12/20
को पेश हो।

17/12/20

वादी एवं वकील वादी उपस्थित नहीं। वाट-2 अक्षय
दिली गई। क्विन्ट को उपस्थित नहीं आया। ऐसी
स्थिति में दावावादीगण अदम हाजिरी एवं
अदम फरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली
खारिज पत्रावली हो।

उपसहस्र अधिकारी
पत्रावली (नरसपुर)